इजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

प्रार्थना पत्र सं0 165 / 17

गंगाराम पुत्र पदमा जाति रैगर निवासी धौला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जयपुर।

.... प्रतिवादी

–:निर्णय:–

दिनांक 15/01/2018

वादी की ओर से उक्त प्रकरण पेश किया जाकर कथन किया गया कि ग्राम धौला पटवार हल्का धौला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में खसरा नं0 90 / 225 रकबा 5 बीघा अनुसार कृषि भूमि स्थित है, जिसमें वादी का राजस्व इन्द्राज गंगाराम पुत्र पदमा के स्थान पर बोलते नाम अनुसार गंगल्या पुत्र पदमा अनुसार त्रूटिपूर्ण इन्द्राज है, जो कि सहवन से भूलवश अनुसार त्रूटिपूर्ण अनुसार दौराने राजस्व इन्द्राज खतौनी की कार्यवाही, गलत अंकित कर दिया। जबकि वादी का सही दस्तावेजी नाम "गंगाराम पुत्रपदमा" है तथा उक्त प्रकार से त्रूटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड के आधार पर नियमित जमाबंदियों में वादी का खातेदारी इन्द्राज गलत अंकित है, जो कि काबिले दूरूस्तीकरण है। जिसके लिए प्रतिवादी सं0 1 को निवेदन करने पर प्रतिवादी सं0 1 ने माननीय न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे मुकदमा घोंषणा व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड दूरूस्त योग्य है, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी का इन्द्राज "गंगल्या पुत्र पदमा" के बजाय "गंगाराम पुत्र पदमा" दर्ज कराने व गलत इन्द्राज को दूरूस्त कराने की घोषणा कराने का वादी अधिकारी है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 ने अपना बिन्दूवार जवाब एवं पटवारी द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत वाद अनुसार भूमि विवादित के राजस्व रिकार्ड में गंगल्या पुत्र पदमा के बजाय गंगाराम पुत्र पदमा किये जाने पर सरकार हित या कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडने के कथन करते हुए गंगल्या पुत्र पदमा का शुद्ध नाम गंगाराम पुत्र पदमा होना जाहीर किया। वकील वादी ने हाजिर अदालत उपस्थित होकर उपरोक्त तथ्यों सहित कथन कर वादग्रस्त भूमि में खातेदार वादी के त्रूटिपूर्ण इन्द्राज को मुताबिक दूरूस्तीकरण किये जाने हेतु कथन किया।

वकील वादी के उक्त तथ्यों व कथनों अनुसार वादी द्वारा बहस सुनने व पत्रावली में शामिल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट सहित पटवारी हल्कार रिपोर्ट सहित शामिल राजस्व रिकार्ड पर मनन व अवलोकन करने के पश्चात हम निर्णय करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर ग्राम धौला में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 90 / 225 रकबा 5 बीघा के राजस्व रिकार्ड में वादी के त्रूटिपूर्ण राजस्व इन्द्रा "गंगल्या पुत्र पदमा" के स्थान पर "गंगाराम पुत्र पदमा" दर्ज करने की घोषणा की जाती है, जिसके अनुसार वादी का राजस्व इन्द्राज दूरूस्त करने के आदेश दिया जाता है। [illegible] तहसीलदार जमवारामगढ को प्रस्तुत निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।